प्रेस नोट दिनांक 02.11.2024

थाना चकिया जनपद चन्दौली

थाना चकिया पुलिस टीम द्वारा जुआ खेल रहे 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

आदित्य लांग्हे, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण व जुआरी अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अनिल यादव पुलिस अधीक्षक (आप0) व राजीव सिसोदिया क्षेत्राधिकारी चकिया के कुशल पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष अतुल कुमार प्रजापति के नेतृत्व में चकिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर जेएम कोर्ट के बगल बनी मीना बाजार की बाउण्ड्री मे दिनांक 01.11.2024 को समय करीब 20.40 बजे अभियुक्तगण 1. राजन चौरसिया पुत्र रामजी चौरसिया निवासी वार्ड नं0 06 थाना चकिया जनपद चन्दौली 2. हिमांशु चौरसिया पुत्र अशोक चौरसिया निवासी वार्ड नं0 06 थाना चकिया जनपद चन्दौली 3. दीपक कुमार उर्फ नागा पुत्र जयप्रकाश मद्धेशिया निवासी वार्ड नं0 05 थाना चकिया जनपद चन्दौली 4. जिऊत उर्फ दीपू चौहान पुत्र जशवन्त चौहान निवासी वार्ड नं0 07 सहदुल्लापुर थाना चकिया जनपद चन्दौली को जुआं खेलते समय गिरफ्तारी / बरामदगी किया गया। गिरफ्तारी/ बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0204/2024 धारा 13 सार्वजनिक जुआं अधिनियम 1987 का अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण व गिरफ्तारी का स्थान-

1. राजन चौरसिया पुत्र रामजी चौरसिया निवासी वार्ड नं0 06 थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. हिमांशु चौरसिया पुत्र अशोक चौरसिया निवासी वार्ड नं0 06 थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. दीपक कुमार उर्फ नागा पुत्र जयप्रकाश मद्धेशिया निवासी वार्ड नं0 05 थाना चकिया जनपद चन्दौली
4. जिऊत उर्फ दीपू चौहान पुत्र जशवन्त चौहान निवासी वार्ड नं0 07 सहदुल्लापुर थाना चकिया जनपद चन्दौली

बरामदगी का विवरण -

1. 1850/ रु0 नगद मालफड़ व जामा तलाशी के 350/ रु0 नकद कुल –2200 रु0
2. 01 मोबाईल फोन

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष अतुल कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली
2. उ0नि0 अभिनव कुमार गुप्ता थाना चकिया जनपद चन्दौली
3. उ0नि0 सुनील कुमार थाना चकिया जनपद चन्दौली।

थाना चकिया दिनांक 02.11.2024

◆पुलिस अधीक्षक चंदौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना चंदौली पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

◆थाना चकिया पुलिस द्वारा गांजा तस्करी करने वालें 02 अभियुक्त के विरूद्ध की गयी गैगेस्टर की कार्यवाही

◆आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

◆इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अवैध मादक पदार्थ की तस्करी जैसे अपराध कारित करते है।

आदित्य लांग्हे,पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा अपराध में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के अनुपालन मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (आप0) अनिल कुमार यादव व क्षेत्राधिकारी चकिया राजीव सिसोदिया के पर्यवेक्षण में गांजा की तस्करी करने वाले अपराधियो के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष अतुल कुमार द्वारा कोतवाली चकिया क्षेत्र से गांजा की तस्करी करने वाले अभियुक्तगण गैंग लीडर सन्तोष कुमार सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह निवासी ग्राम कुल्हनामऊ थाना बक्शा जिला जौनपुर व सदस्य अमित वर्मा पुत्र रामतेज वर्मा निवासी ग्राम कौड़ियावा थाना कूढ़ेभार जिला सुल्तानपुर के विरुद्ध दिनाँक 01.11.2024 को मु0अ0स0 203/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधि0 1986 पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गैंग लीडर- सन्तोष कुमार सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह निवासी ग्राम कुल्हनामऊ थाना बक्शा जिला जौनपुर

गैंग का सदस्य- अमित वर्मा पुत्र रामतेज वर्मा निवासी ग्राम कौड़ियावा थाना कूढ़ेभार जिला सुल्तानपुर

अपराधिक इतिहास-

सन्तोष कुमार सिंह पुत्र अनिरुद्ध सिंह निवासी ग्राम कुल्हनामऊ थाना बक्शा जिला जौनपुर (गैंग लीडर)

1.मु0अ0सं0-203/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.मु.अ.सं. 158/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.मु.अ.सं. 007/2020 धारा 279/338/427/304ए भादवि थाना सिकरारा जनपद जौनपुर

अमित वर्मा पुत्र रामतेज वर्मा निवासी ग्राम कौड़ियावा थाना कूढ़ेभार जिला सुल्तानपुर (गैंग सदस्य)

1.मु0अ0सं0-203/24 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगेस्टर एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

2.मु.अ.सं. 158/24 धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना चकिया जनपद चन्दौली

3.मु.अ.सं. 126/2022 धारा 323/427/452/506 भादवि थाना कैंट जनपद अयोध्या

4.मु.अ.सं. 111/2023 धारा 60/72 आबकारी अधि. थाना आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर

थाना अलीनगर जनपद चंदौली

◆पुलिस अधीक्षक चंदौली, आदित्य लांग्हे के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना अलीनगर पुलिस टीम की बड़ी कार्यवाही।

◆थाना अलीनगर पुलिस द्वारा शराब तस्करी करने वालें 02 अभियुक्त के विरूद्ध की गयी गैगेस्टर की कार्यवाही

◆आपराधिक कृत्यों से समाज में आम जनता के मध्य भय का माहौल बनाने वाले अभियुक्तगण के विरुद्ध की गयी गैंगस्टर एक्ट की गयी कार्यवाही।

◆इन अपराधियों का एक सक्रिय संगठित गिरोह है, जो अपने आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु करता है शराब तस्करी करने जैसे अपराध कारित करते है।

चंदौली- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे द्वारा जनपद में घटित हो रहे ऐसे अपराध जिनमें अपराधियों द्वारा नाजायज गैंग बनाकर संगठित अपराध किया जा रहा है उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिये गए निर्देशों के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चन्दौली विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी PDDU नगर चन्दौली आशुतोष के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी अलीनगर विनोद कुमार मिश्रा द्वारा शराब तस्करी करने वाले अभियुक्त गैंग लीडर 1. दिनेश पासवान पुत्र विशम्भर पासवान निवासी घरबैर थाना दरीगाँव जिला रोहतास (बिहार) उम्र 36 वर्ष व सदस्य 2. बजरंगी मुसहर पुत्र विश्वनाथ मुसहर निवासी घरबैर थाना दरीगाँव जिला रोहतास (बिहार) उम्र 25 वर्ष का एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध शराब को बिहार प्रान्त में बिक्री करने के आशय से तस्करी कर वाहन से परिवहन करने का आपराधिक गिरोह जो अन्तर्राज्यी स्तर पर सक्रिय होना पाया गया जिनके द्वारा अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक ,भौतिक एवम् अन्य दुनियाबी लाभ हेतु गोवंशों को वध के आशय से अवैध शराब को बिहार प्रान्त में बिक्री करने के आशय से परिवहन कर ले जाने के अपराध कारित किये जाते हैं तथा शराब की बिक्री कर प्राप्त हुए धन से ही अपने तथा गिरोह के सदस्यों के आर्थिक भौतिक व दुनियाबी हितों की पूर्ति करते हुए जीवन निर्वहन करते हैं। उक्त गिरोह के गैंग लीडर दिनेश पासवान व सदस्य बजरंगी मुसहर उपरोक्त के विरूद्ध थाना अलीनगर पर दिनांक 31.10.2024 को मु.अ.सं. 296/24 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द एवम् समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण–

1.दिनेश पासवान पुत्र विशम्भर पासवान निवासी घरबैर थाना दरीगाँव जिला रोहतास (बिहार) उम्र 36 वर्ष।

2.बजरंगी मुसहर पुत्र विश्वनाथ मुसहर निवासी घरबैर थाना दरीगाँव जिला रोहतास (बिहार) उम्र 25 वर्ष।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास–

1.मु0अ0सं0 297/2023 अन्तर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

2.मु.अ.सं. 296/24 धारा 3(1) उ0प्र0गिरोहबन्द अधिनियम थाना अलीनगर जनपद चन्दौली

थाना साइबर क्राइम जनपद चंदौली

◆थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा पीड़ित की फ्राड हुयी धनराशि–85,000/-रुपये वापस कराया गया।

चंदौली- पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली श्री आदित्य लांग्हे के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देशन में एंव पुलिस उपाधीक्षक राजीव सिसौदिया के कुशल पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष साइबर क्राइम वीरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में साइबर क्राइम टीम द्वारा साइबर क्राइम के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद चन्दौली के थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही के चलते पीड़ित सरफुद्दीन पुत्र स्व0 अली हुसैन निवासी वार्ड नं0-10,सैयदराजा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली की पुत्री मुर्सरत जहाँ को नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी तरीके से फ्राड किया गया था । फ्राड के सम्बन्ध में पीड़ित सरफुद्दीन नाम पता उपरोक्त द्वारा थाना साइबर क्राइम में दिनांक 26.07.2024 को जाँच हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था, जाँच के क्रम में थाना साइबर क्राइम जनपद चन्दौली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए पीड़ित के पुत्री के खाते में 85,000/- रूपये वापस कराया गया । पीड़ित सरफुद्दीन उपरोक्त द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय चन्दौली व थाना साइबर क्राइम टीम को धन्यवाद/आभार प्रकट किया गया है।,

नाम पता आवेदक:-

1.सरफुद्दीन पुत्र स्व0 अली हुसैन निवासी वार्ड नं0-10,सैयदराजा थाना सैयदराजा जनपद चन्दौली

फ्राड धनराशि की बरामदगी का दिनांक– 02.11.2024

फ्रॉड की कुल राशि व वापस करायी गयी कुल धनराशि रुपया– 85,000/-

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार (थानाध्यक्ष साइबर क्राइम)

2.का0 राहुल सिंह

3.का0 राहुल यादव

4.का0 आशुतोष भारद्वाज

यातायात पुलिस चंदौली

◆यातायात माह नवंबर में यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा चलाया वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 797 वाहनों का चालान करते हुए 10,16,800/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया।

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम चन्दौली द्वारा वाराणसी से बिना परमिट व बिना फिटनेस के संचालित ऑटो का भी किया जा रहा चालान

◆यातायात पुलिस व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा लगातार बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी व यातायात नियमों के उल्ल्घन करने वालो पर लगातार कार्रवाई जारी

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री मोहित गुप्ता पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में आदित्य लांग्हे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात रघुराज के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक यातायात सुरेन्द्र यादव मय यातायात टीम व जनपदीय थाना पुलिस टीम द्वारा यातायात माह नवंबर के अवसर पर जनपद में विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान बिना साइलेंसर या मोडिफाइड साइलेंसर, बिना हेलमेट, बिना शीटबेल्ट, तीन सवारी, ब्लैक फ़िल्म लगे वाहन, पिकअप बिना रजिस्ट्रेशन व यातायात नियमों का उल्ल्घन करने वाले, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने तथा मानक के अनुरूप नम्बर प्लेट न लगाये जाने पर कुल 797 वाहनों का चालान करते हुए 10,16,800/-₹ का जुर्माना अधिरोपित किया गया। इसी प्रकार प्रमुख चौराहों पर यातायात अपराधों के विरूद्ध विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों के पालन के लिये जागरुक किया गया।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पुलिस अधीक्षक चंदौली आदित्य लांग्हे के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी यातायात ,रघुराज के निकट पर्यवेक्षण तथा यातायात प्रभारी सुरेन्द्र यादव व सभी यातायात अधि0/कर्मचारीगण के द्वारा बढ़ती हुयी सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जनपद के प्रमुख चौराहों तिराहों व सार्वजनिक मार्गो, पर लगातार भ्रमणशील रहकर यातायात पुलिस चंदौली द्वारा यातायात नियमों के पालन के लिये सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यक्रम के तहत रोड़ पर लोगो को जागरुक किया गया । साथ ही साथ आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों के पालन करने हेतु जैसे- नशे की हालत में वाहन न चलाने, निर्धारित मानक से अधिक सवारी न बैठाने वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करने अवयस्क को वाहन न चलाने देने सीट बेल्ट का प्रयोग करने व दो पहिया वाहनों पर हेलमेट का प्रयोग करने वाहनों को ओवर लोड न चलाने आदि के संबन्ध में जागरूक किया गया व सभी को अवगत कराया गया कि "सीटबेल्ट" का प्रयोग व दो पहिया वाहन चलाते समय "हेलमेट" का प्रयोग अवश्य करें ।

इसी क्रम में यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित यातायात के नियमों के उल्ल्घन करने पर चालान की कार्रवाई की गयी है-

क्रम संख्या   यातायात नियम उल्ल्घन का प्रकार चालान की संख्या-

1.बिना हेलमेट-412

2.नो पार्किंग-139

3.तीन सवारी-58

4.सीट बेल्ट-07

5.बिना वैलिड इनस्योरेंस के वाहन चलाना-08

6.यातायात नियमों का उल्लंघन- 84

7.गलत दिशा में वाहन चलाना- 10

8.गलत नंबर प्लेट- 17

9.मागने पर ड्राइविंग लाइसेन्स न दिखा पाना- 26

10.वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना- 06

11.परमिट शर्तो का उल्लंघन करना- 03

12.मांगने पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न दिखा पाना-04

13.काली फिल्म- 05

14.प्रदूषण सर्टिफिकेट का ना होना-03

15.ओवर स्पीड-01

16.ध्वनि प्रदूषण-05

17.बेवजह हार्न बजाना-01

18.शराब पीकर वाहन चलाना-02

19.नाबालिग द्वारा वाहन चलाना-01

20.क्षमता से अधिक सवारी बैठाना-01

21.सीज- 04

यातायात नियमों के उलंघन में दिनांक 02.11.2024 को यातायात माह नवंबर के शुभारंभ के अवसर पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गयी कार्यवाही का विवरणः-

(1)संपूर्ण चालानः-797

(2)संपूर्ण कारित राजस्वः-10,16,800-रूपयें। (दस लाख सोलह हजार आठ सौ रुपए)